

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं०-11/2024

11.06.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अपीलकर्ता श्रीमती सबिता देवी एवं अन्य ग्राम-रोदो, पंचायत-बिजका, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा अनुपस्थित।

सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुपस्थित हैं और उनका पक्ष भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्रांक-428 दिनांक-07.05.2024 के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निदान करने का निर्देश दिया था। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि आयोग के पत्रांक-428 दिनांक-07.05.2024 के निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करे और जिन लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराया गया है उन्हें कटौती की गई अनाज उपलब्ध कराते हुए, ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक-27.06.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे। दिनांक-27.06.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।